भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110 001**

सं.579/मुद्रण/**2015**/संचार (भाग-**12**) दिनांक : **14** सितम्बर, 2016

निविदा नोटिस

विषय : मतदाता महोत्सव, 2016 फिल्म की 1500 डीवीडी तैयार करना – तत्संबंधी।

मतदाता महोत्सव **2016** फिल्म की **1500** डीवीडी तैयार करने के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

उक्त कार्य के लिए विनिर्देशन इस प्रकार है:

विनिर्देशन	
प्रतिलिपियों की संख्या	**1500**
केस	पेपर-**300** जी एस एम (चार रंगों में मुद्रण – आगे एवं पीछे) ग्लोस लेमिनेशन एवं फोल्डिड फ्लेप
स्टीकर (डीवीडी के अग्रभाग पर)	चार रंगों में
केस एवं स्टीकर का डिजाइन	उपलब्ध कराया जाएगा
पैकिंग	पॉलिथिन कवर में प्रत्येक यूनिट
अन्य	**सामग्री लेखन इत्यादि**

यदि, उपर्युक्त उल्लिखित विनिर्देशनों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो भुगतान यथानुपात आधार पर किया जाएगा। इच्छुक पार्टियाँ **19** सितंबर, 2016 को पूर्वाहन **11:00** बजे तक अधोहस्ताक्षरी को मुहरबंद निविदाएं प्रस्तुत कर सकती हैं। मुहरबंद निविदाएं उसी दिन कमरा नं. **308** में अपराह्न **2:30** बजे खोली जाएंगी। आवश्यक निबंधन एवं शर्तें एतद्द्वारा संलग्न हैं। जो निविदाएं संलग्न निबंधनों एवं शर्तों में से किसी शर्त को पूरा नहीं करेंगी उन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। **उद्धृत दरें सभी करों सहित होनी चाहिएं।**

(एस.के.दास)
अवर सचिव
फोन नं. 011-23052082, ऐक्सटेंशन.283
ई-मेल: sumands34@gmail.com

निबंधन एवं शर्तें

1. एजेन्सी आयोग में इस विशिष्ट कार्य को समन्वित और नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए एक नोडल व्यक्ति नियुक्त करेगी।
2. कार्य के आबंटन के पश्चात फर्म को सबसे पहले अनुमोदन हेतु प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि यह पाया जाता है कि कार्य अपेक्षित विनिर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा है और या निबंधन एवं शर्तें पूरी नहीं की गई हैं तो आयोग के पास, सौपें गए कार्य को रद्द करने एवं फर्म पर दण्ड अधिरोपित करने का अधिकार है।
3. आयोग फर्म को किसी भी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं करेगा। फर्म को सम्पूर्ण कार्य स्वयं कार्यान्वित करना होगा और भुगतान केवल कार्य की संतोषजनक समाप्ति एवं इस संबंध में बिल प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।
4. कार्य पूरा करने के लिए समय, कार्य आदेश देने की तिथि से **3** दिन का है।
5. आयोग के पास किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। आयोग कार्य आदेश देने से पहले निबंधनों एवं शर्तों में संशोधन भी कर सकता है।
6. यदि समय पर अपेक्षित मदों की पूर्ति नहीं की जाती या आयोग द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं को पूरा नहीं किया जाता है तो आयोग आदेश रद्द कर सकता है।
7. किसी भी विवाद के मामले में, आयोग का निर्णय बाध्यकारीख्होगा।